आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4.9.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 15/1995–96 07/2004–05 02/2013–14 1. भूपेन्द्र पासवान, शिवनारायण पासवान व अशोक पासवान, सभी पिता–स्व0 अनुप पासवान, सभी सा0–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया 2. कैलू पासवान, बसंत पासवान व शीतल पासवान, सभी पिता–स्व0 झबरू पासवान, सभी सा0–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया 3. बिन्दी पासवान, पिता–स्व0 श्यामलाल पासवान, सा0–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया 4. कौशल्या देवी व झुठनी देवी, पिता–स्व0 पन्ना लाल पासवान 5. उमेश पासवान व बौका पासवान, पिता–स्व0 अलकू पासवान सभी सा0–विवनपुर, टोला–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – आवेदकगण **बनाम** 1. हरदेव पासवान, पिता–गैनू पासवान 2. गणेशी पासवान, पिता–स्व0 सगुन पासवान 3. भानु पासवान, पिता–स्व0 सगुन पासवान 4. गैनु पासवान, पिता–स्व0 गैनु पासवान सभी सा0–विशनपुर, टोला–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया **आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदकगण भूपेन्द्र पासवान एवं अन्य, पिता–स्व0 अनुप पासवान एवं अन्य, सभी सा0–मधुलता, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 14/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 3.5.1995 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 3.6.1995/29.6.1995 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 3.6.2000 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 31.1.2014 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरण उपरांत अभिलेख उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 213/वि0, दिनांक 06.02.2014 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। हस्तांतरण उपरांत उभय पक्षों के	

अनुपस्थित रहने के उपरांत उभय पक्षों को सूचना निर्गत की गई तथा विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात विपक्षी की ओर से लिखित बहस भी दाखिल किया गया। तदोपरांत उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
विसनपुर अंचल–रानीगंज	4	943 1038	105 2701	1.52 ए0 1.06 ए0 **कुल 2.58 ए0**

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान खाता 943, रकवा 1.52 एकड़ का सुगम लाल पासवान एवं खाता 1038, खेसरा 2701 का सर्वे खतियान श्याम लाल पासवान के नाम दर्ज हुआ तथा दोनों सहोदर भाई थे। आवेदकगण श्यामलाल पासवान के पौत्र है। द्वितीय पक्ष सुगम लाल पासवान के पौत्र है। वर्ष 1993 में अंचलाधिकारी, रानीगंज एवं थानाध्यक्ष, रानीगंज के समक्ष दोनों भाईयों के बीच वादग्रस्त भूमि का आपसी पंचनामा बँटवारा कर लिया गया। जिससे दोनों पक्षों को ब हिस्सा बराबर 1.29 x 2 = 2.58 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ। आपसी पंचनामा बँटवारा के आधार पर अंचलाधिकारी, रानीगंज के नामान्तरण वाद सं0 113/1993–94 में दिनांक 5.7.1993 को पारित आदेश के द्वारा इन दोनों भाईयों का अलग–अलग जमाबंदी दर्ज हुआ।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सुगम लाल पासवान के वारिशान विपक्षीगणों द्वारा अंचल अधिकारी के नामान्तरण आदेश के विरूद्ध विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 14/1993–94 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने अपने आदेश दिनांक 03.5.1995 द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत विपक्षीगणों द्वारा पंचनामा बँटवारा पर विरोध किये जाने तथा सहमत नहीं होने के कारण अंचलाधिकारी, रानीगंज के नामान्तरण वाद सं0 113/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 5.7.1993 को रद्द कर दिया गया। जबकि पंचनामा बँटवारा पर दोनों पक्षों की सहमति एवं हस्ताक्षर मौजूद था। साथ ही साथ तत्कालीन् अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष का भी हस्ताक्षर मौजूद है। परन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उनके नामान्तरण आदेश को रद्द किया जाना युक्तिसंगत नहीं है। अंचलाधिकारी के पारित आदेश को बरकरार रखे जाने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि का खतियान सुगम लाल पासवान एवं श्यामलाल पासवान दोनों भाईयों के नाम अलग–अलग दर्ज है। दो खाता में से खाता 943 आवेदक की Exclusive Property है। जिसकी जमाबंदी सं0 944 सर्वे के समय से ही आवेदक के दादा सुगम लाल पासवान के नाम से चल रही है। खाता 1038, खेसरा 2701, रकवा

1.06 एकड़ श्यामलाल पासवान के नाम से दर्ज है। किन्तु खतियान के अभ्युक्ति कॉलम में गसवन कब्जा देव नारायण झा के नाम से दर्ज है। श्यामलाल पासवान के द्वारा गसबन कब्जा के इन्द्राज को रद्द करने हेतु T.S. वाद सं0 392/1959 देव नारायण झा के विरूद्ध मान्नीय मुंसफ न्यायालय में दाखिल किया। जिसमें दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा दाखिल हुआ और श्याम लाल पासवान ने उक्त रकवा 1.06 एकड़ भूमि देवनारायण झा उर्फ देवकान्त पाठक को त्याग दिया। जिसके आधार पर दिनांक 20.12.1960 को डिग्री पारित हुआ। इसी टाईटल डिग्री के आधार पर 34 डी0 भूमि वादग्रस्त खेसरा से हरदेव पासवान द्वारा बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 1170, दिनांक 9.12.1981 द्वारा देव नारायण झा उर्फ देवकान्त पाठक से क्रय किया गया तथा शेष भूमि देव नारायण झा उर्फ पाठक द्वारा 24 डी0 भूमि शिवानंद मेहता को निबंधित डीड द्वारा बिक्री कर दी गई तथा 46 डी0 भूमि वेचन पासवान व जगदीश पासवान को दिनांक 6.8.1982 द्वारा बिक्री की गई। जिससे आवेदक भूपेन्द्र पासवान द्वारा भी 46 डी0 भूमि अपनी पत्नी अनुराधा देवी के नाम क्रय कर दखल–क़ाबिज हुए और सभी का दाखिल–खारिज भी हो चुका है। इस प्रकार वाद भूमि उनकी क्रय भूमि है। अंचलाधिकारी, रानीगंज द्वारा जाली पंचनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध नामान्तरण अपील वाद सं0 14/1993–94 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश विधि सम्मत एवं सम्पुष्टि के लायक है, जिसे बहाल रखते हुए आवेदकगणों के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के पारित आदेश तथा संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का सर्वे खतियान उभय पक्षों के पूर्वजों के नाम अलग–अलग दर्ज हुआ। वादग्रस्त खाता 1038, खेसरा 2701, रकवा 1.06 एकड़ आवेदकगणों के पूर्वज श्यामलाल पासवान के नाम सर्वे खतियान दर्ज है, जिसके अभ्युक्ति कॉलम में गसबन दखल देवनारायण झा दर्ज हो जाने के कारण श्यामलाल पासवान द्वारा मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में T.S. वाद सं0 392/1959 दाखिल किया गया। जिसमें संधि पत्र के आधार पर वादग्रस्त खेसरा 2701 की सम्पूर्ण भूमि 1.06 एकड़ देव नारायण झा उर्फ देवकांत पाठक को डिग्री प्राप्त हुआ तथा खेसरा 2715, रकवा 69 डी0 भूमि श्यामलाल पासवान को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवनारायण झा उर्फ देवकांत पाठक से वादग्रस्त खेसरा 2701 से रकवा 34 डी0 भूमि विपक्षी हरदेव पासवान द्वारा निबंधित दस्तावेज से क्रय कर दखलकार हुए और नामान्तरण कराकर जमाबंदी दर्ज कराई गई। वर्ष 1993 में वादग्रस्त खेसरा 2701 की पूरी भूमि 1.06 एकड़ का अपापसी पंचनामा बँटवारा के तहत आधी–आधी भूमि को बाँट लिया गया। जिसपर विपक्षी हरदेव पासवान द्वारा आपत्ति दाखिल किये जाने के बावजूद भी अचंलाधिकारी, रानीगंज द्वारा नामान्तरण वाद सं0 113/1993–94 में

I. P Manager

पंचनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 05.07.1993 को पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हरदेव पासवान एवं अन्य के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 14/1993–94 दाखिल किया। जिसमें पंचनामा पर विपक्षी हरदेव पासवान की सहमति नहीं होने के कारण अंचलाधिकारी नामान्तरण आदेश को अपने आदेश दिनांक 3.5.1995 द्वारा रद्द कर दिया गया है। चूँकि पंचनामा बँटवारा पर सभी पक्ष की सहमति प्राप्त नहीं होने पर उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 03.05.1995 को वैद्य एवं न्याय संगत पाते हुए उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्तागण के पुरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, रानीगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 126 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 04/09/2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 14/1993–94 (हरदेव पासवान बनाम अनुपलाल पासवान) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया